न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : नन्दकिशोर राजोरा, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 10 / 2022

अपीलाण्ट

1. पुखाराम पुत्र गणेश
2. बबुलाल पुत्र गणेश
3. सुजाराम पुत्र वक्ताराम
4. तीजोदेवी पत्नी वक्ताराम
5. गिरधारी पुत्र वक्ताराम, जातिगण सीरवी, निवासीगण केरला, तहसील पाली जिला पाली

बनाम

रेस्पोडेण्ट

1. देवाराम पुत्र जोगाराम जाति सीरवी निवासी केरला तहसील पाली जिला पाली
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भूमिधारी, पाली

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

श्री मोहम्मद शरीफ काजी, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट

श्री पीताराम परिहार, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेण्ट्स

–: निर्णय :–

दिनांकः– 07/11/2022

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) पाली द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 07 / 2019 बउनवान देवाराम बनाम पुखाराम में पारित आदेश दिनांक 06.09.2021 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा अपनी अपील को अन्दर म्याद शुमार करवाने हेतु दौराने बहस कथन किया कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विविध आवेदन नम्बर 665 / 2021 in SMW (C) No- 3/20 In Re Cognizance for extension of limitation VS XXX में स्वप्रसंज्ञान लेते हुए अपने निर्णय दिनांक 27.04.2021 द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

कोविड–19 से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण परिवाद व अन्य सभी प्रकरणों में हुई देरी को उक्त आदेश से माफ किया गया है। अपीलाण्ट का प्रकरण प्रस्तुत करने में हुई देरी काविड–19 से उत्पन्न हुई परिस्थितियों के कारण है। इस कारण प्रकरण माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार अंदर म्याद माना जावें। अधिवक्ता अपीलाण्ट की बहस पर गौर किया गया। न्यायहित में अपीलाण्ट की अपील अन्दर म्याद शुमार की जाती है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी भूमि मौजा केरला, तहसील पाली के खसरा नम्बर 51/1 रकबा 9.17 बीघा में आवागमन हेतु अपीलाण्ट के खसरा संख्या 49/1, 49/2 में उत्तर की तरफ रास्ता उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट की अनुपस्थिति दर्ज कर एकतरफा आदेश पारित कर अपीलाण्ट की कृषि भूमि में रास्ता दिये जाने आदेश पारित किया, जिसके विरूद्ध अपीलाण्ट द्वारा श्रीमान के न्यायालय में अपील पेश की गयी, जो अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय को यह निर्देश दिया गया कि खसरा नम्बर 43 व 50 के पूर्व दिशा की माठ के सहारे सहारे रास्ता दिया जाने के संबंध में निर्णय पारित करने बाबत् पत्रावली रिमाण्ड की गई थी। अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली न्यायालय हाजा द्वारा प्रतिप्रेषित की गई थी तथा उसके बाद अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट को नोटिस जारी करने के आदेश पारित किये गये थे, जब अपीलाण्ट उपस्थित ही नही थे, प्रकरण की जानकारी नही थी तो बिना सुनवाई का अवसर दिये, बिना जवाब प्रस्तुत करने का अवसर दिये एकतरफा आदेश पारित किया गया है। खसरा नम्बर 49/1 व 49/2 के उत्तर की तरफ से कभी आवागमन हेतु रास्ता उपलब्ध नहीं था, न ही कभी आना जाना था। आर. आई. की रिपोर्ट के क्रम संख्या 2 में रेस्पोडेण्ट का आवागमन खसरा नम्बर 49, 46, 44, 48 व 50 के मध्य से होकर आना जाना दर्शाया है। तो अपीलाण्ट के खसरा नम्बर 49/1 व 49/2 में रास्ता दिया जाने का कोई कानूनी अधिकार नही था। आर. आई की रिपोर्ट के क्रम संख्या 5 के अनुसार खसरा नम्बर 48 आबादी भूमि है तथा आबादी भूमि में रास्ता नहीं दिया जा सकता तथा खसरा 49 में पानी का टांका भी बना हुआ है, इस कारण से खसरा नम्बर 49/1 व 49/2 के उत्तर की तरफ रास्ता नहीं दिलवाया जा सकता, क्योंकि दिया गया रास्ता मौके पर लम्बा है, तथा बीच में आबादी भूमि होने से रेकर्ड में रास्ता दर्ज नहीं रह सकता है, चुंकि न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली ने प्रकरण इस कारण से प्रतिप्रेषित किया गया था, कि खसरा नम्बर 43 व 50 के खातेदारों को पक्षकार बनाकर सुनवाई किया जाकर निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी के आदेशों के व निर्देशों की पालना नहीं कर

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो विधि विरूद्ध है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त किया जावे। अधीवक्ता अपीलाण्ट ने अपने कथनो के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये–

RRD 2002 Page No-314- Rajasthan Tenancy Act, Section 251- Revision against order of Addl Collector- Held Gram Panchayat has demarcated new rasta without jurisdiction- Decision given by a court having no jurisdiction is a nullity- jurisdiction- Decision given by a court having no jurisdiction is a nullity- jurisdiction- Decision given by a court having no jurisdiction is nullity- Orders passed without jurisdiction can be set aside at any time by the court.

RRT 2016(1) Page No-440- Rajasthan Tenancy Act,1955- sec- 251 A- Application filed to grant 10 feet wide way from arazi. 1029 of the revisionist petitioner & 'R.K.'- Non petitioner contended that there is no other way to reach his arazi - SDO allowed the application ex-parte- RAA dismissed the appeal- No opportunity of hearing given to petitioner- way of less distance is available then way of long distance ought not to have been sanctioned One 'Khejri' tree is standing in the way of less distance that can be removed-Held, Orders set aside&case remanded to Trial Court.

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु रास्ते का अभाव होने के कारण इनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील आदेश के विरूद्ध न्यायालय हाजा द्वारा प्रकरण में जांच कर पक्षकारान को समुचित साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु निर्देशित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी व अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। जिस पर अपीलाण्ट व उनके अधिवक्ता बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गयी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी पाली द्वारा पारित निर्णय में दिये गये Observation के आधार पर निर्णय पारित किया गया है। मौका रिपोर्ट से प्रमाणित है कि रेस्पोडेण्ट को कृषि कार्य हेतू अपनी जोत पर आने–जाने हेतू मौके पर कोई रेर्कोडेड रास्ता उपलब्ध नहीं है अर्थात रेस्पोडेण्ट को कृषि कार्य हेतू अपनी जोत में आने–जाने हेतू रास्ता की आत्यंतिक आवश्यकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत प्रक्रिया की पालना करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है। धारा 251ए के तहत संक्षिप्त प्रक्रिया अपनाकर कार्यवाही करते हुए काश्तकारो को आवश्यक रूप से

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

रास्ता उपलब्ध करवाने का प्रावधान है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार पाली / पटवारी हल्का / भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन एवं अभिशंषा के अनुसार आवेदक खातेदार द्वारा धारित भूमि में आवागमन के लिए अत्यधिक आवश्यकता एवं वैकल्पिक रास्ता नहीं होने से रेस्पोडेण्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए जैर अपील आदेश पारित करते हुए रास्ता प्रदान कराने का निर्णय किया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है। अतः अपील खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। विद्वान_अभिभाषकगणो द्वारा पेश नजीरो का ससम्मान अध्ययन किया।_रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु रास्ता प्रदान कराने का अनुतोष चाहा। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 11.06.2018 को भू. अ. नि. रूपावास की रिपोर्ट में बताये नजरी नक्शा अनुरूप खसरा नम्बर 49, 49 / 1 व 49 / 2 में से माठ के सहारे सहारे कुल 1248 फीट लम्बा कुल रकबा 1.03 बीघा भूमि रास्ता स्वीकृत कर जैर अपील आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश दिनांक 11.06.2018 को न्यायालय हाजा द्वारा अपने निर्णय दिनांक 28.09.2018 द्वारा अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 11.06.2018 को अपास्त किया गया तथा प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया कि न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 28.09.2018 में वर्णित Observation के आधार पर पक्षकारान को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। अपीलाण्ट के नोटिस बाद तामिल अनुपस्थित रहने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गयी। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेण्ट अधिवक्ता ने आवेदन प्रस्तुत कर पत्रावली पर उपलब्ध मौका रिपोर्ट दिनांक 11.12.2017 एवं दिनांक 11.06.2018 को ध्यान में रखते हुए उनमें प्रस्तावित किये गये रास्तो में से कोई भी रास्ता रेस्पोडेण्ट को दिलाये जाने का निवेदन किया।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है, कि रेस्पोडेण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर पत्रावली पर उपलब्ध मौका रिपोर्ट दिनांक 11.12.2017 एवं दिनांक 11.06.2018 को ध्यान में रखते हुए उनमें प्रस्तावित किये गये रास्तो में से कोई भी रास्ता रेस्पोडेण्ट को दिलाये जाने का निवेदन किया। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत आवेदन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौका

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

रिपोर्ट दिनांक 11.06.2018 में सुझाये गए समस्त विकल्पों एवं न्यायालय हाजा द्वारा निर्णय दिनांक 28.09.2018 में दिए गए Observation को ध्यान में रखते हुए धारा '251ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम आज्ञापक प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए निर्णय पारित किया जाना चाहिए था, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खसरा संख्या 43 व खसरा संख्या 50 से निकटतम रास्ते के बिन्दु की ओर ध्यान नहीं दिया जाकर पूर्ववत निर्णय पारित किया गया है। जिसे न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता है। '251ए' के आज्ञापक प्रावधानों में 'निकटतम रास्ता' होना भी शामिल है मौका रिपोर्ट दिनांक 19.06.2018, जिसके आधार पर अपीलाधीन निर्णय में रास्ता कायम किया गया है, के अवलोकन से ही स्पष्ट है, कि खसरा नम्बर 50 व 43 से मार्ग दिया जाता है तो सबसे निकटतम एवं सुलभ होगा जो सीधा रिकॉडेड रास्ते से मिलता है, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस बिन्दु पर कतई गौर नहीं कर निर्णय पारित किया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में तथ्यों एवं रेकर्ड को अनदेखा करते हुए जैर अपील निर्णय पारित किया है, जो किसी भी रूप में समर्थन योग्य नहीं है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) पाली द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 07 / 2019 बउनवान देवाराम बनाम पुखाराम निर्णय दिनांक 06.09.2021 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे खसरा संख्या 43 व खसरा संख्या 50 के खातेदार को पक्षकार संयोजित कर पक्षकारान् को समूचित सुनवाई का अवसर देते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 07/11/2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नन्दकिशोर राजोरा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
पाली